

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :- 32/2012**

**बउनवान**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारों (राज.)

( प्रार्थी )

**बनाम**

सुशीला बाई पत्नि मांगीलाल जाति लोधा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारों (राज.)

( अप्राथी )

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- परोकार सरकार ( प्रार्थी )

2- श्री संजय नागर अभिभाषक ( अप्राथी )

**निर्णय दिनांक 14.08.2019**

राजस्थान सरकार जयें :- प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्राथी के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 0.15 हेक्टर भूमि किसिम गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012-2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

वर्तमान मे उक्त विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 मे हैसियत खातेदार सुशीलाबाई पत्नि मांगीलाल जाति लोधा निवासी मदनाखेडी के नाम दर्ज है। उक्त आराजी रहन एस.बी.बी.जे. (ए.डी.बी.) शाखा छबडा दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 20.11.2012 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्राथी को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्राथी द्वारा जयें अभिभाषक उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.15 हेक्टर बतायी गई है। जिसको प्रार्थीया ने जरिये विक्रय पत्र तारीख 10.8.2005 को खरीद की गयी है। जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्ता चली आ रही है। प्रार्थीया के विरुद्ध प्रस्तुत की गई रेफरेंस कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम मदनाखेडी जिसके खसरा नम्बर 122 रकबा 0.15 है। जो किस्म सम्वत् 2012 में भी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बेंच जोधपुर ने दिये हैं।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ज्य प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 122 रकबा 0.15 हेक्टर भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण में सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर, बारों

